न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 363/2021 जिला जयपुर

1. छोटूराम उर्फ छोट्या पुत्र स्वर्गीय श्रीबक्स (पूर्व पिता स्व० श्री ययपुर), 2–3 मन्ना). जाति मीणा, निवासी ग्राम सिन्दोली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (मृतक दौराने अपील)

1/1 श्रीमती छोटी देवी पत्नि स्वर्गीय श्री छोटूराम मीणा
1/2 रामेश्वर प्रसाद मीणा पुत्र स्वर्गीय श्री छोटूराम मीणा
1/3 सीतारान नीणा पुत्र स्वर्गीय श्री छोटूराम मीणा निवासीगण मन्ना की ढाणी ग्राम सिन्दोली, तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
1/4 श्रीमती लाली देवी पत्नि श्री सीताराम, निवासी खोडल्या की ढाणी, ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जयपुर ।
1/5 श्रीमती गेन्दी देवी पत्नि श्री जगदीश, निवासी गुढा चक, छोटू नेता की ढाणी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र स्वर्गीय श्रीबक्स, जाति मीणा, निवासी ग्राम सिन्दोली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर,
2. ग्राम पंचायत फाल्यावास, जरिये सरपंच, ग्राम फाल्यावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
3. तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

–प्रत्यर्थीगण

द्वितिय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 01.12.2021 अपील संख्या 7/2021 उनवानी छीतर बनाम ग्राम पंचायत फाल्यावास व अन्य जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 13.12.1978 ग्राम पंचायत फाल्यावास निरस्त किया जाकर तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया।

उपस्थित–
1. श्री विष्णुदत्त शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री पी.के. मीणा रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–05.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 01.12.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष ग्राम सिन्दौली तहसील बस्सी जिला जयपुर की विवादित भूमि खसरा नं. 192 रकबा 19 बीघा 14 बीस्वा के तहसीलदार बस्सी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 13.12.1978 को गलत बताते हुये नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 को अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः तहसीलदार बस्सी को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता मृतक के विधिक वारिसान की पक्षकारों की उपस्थिति में जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने का निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 01.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट छोटूराम उर्फ छोट्या द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 01.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम सिन्दौली तहसील बस्सी जिला जयपुर की विवादित भूमि खसरा नं. 192 रकबा 19 बीघा 14 बीस्वा अपीलांट की पैतृक कब्जे काश्त की है। नामान्तरकरण संख्या 111 ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् मृतक श्रीबकस के विधिक वारिसान् की उचित जॉच पश्चात् ही खोला गया है। नामान्तकरण संख्या 67 एवं नमान्तकरण संख्या 111 में वर्णित भूमि पुश्तैनी भूमि थी ना कि मन्ना व श्रीबक्स की स्वअर्जित सम्पत्ति । श्रीबक्स के पूर्व में कोई औलाद नहीं होने के कारण श्रीबक्स ने मन्ना के सात पुत्रों में से एक पुत्र छोटू उर्फ छोट्या को गोद लिया और श्रीबक्स द्वारा ही छोटू उर्फ छोट्या का लालन पालन किया। छोटू उर्फ छोट्या द्वारा ही स्वंय को समस्त समाज, सरकार तथा आमजन के बीच श्रीबक्स का पुत्र होना कथित किया है। छोटू उर्फ छोट्या वर्तमान में करीब 80 साल का हैं और उसके समस्त सरकारी दस्तावेजो, पहचान पत्रों, ग्रामीण रिकार्ड, वोटर लिस्ट आदि में छोटू उर्फ छोट्या के पिता का नाम श्रीबक्स ही दर्ज किया हुआ हैं और श्रीबक्स के गोद चले जाने के पश्चात से ही छोटू उर्फ छोट्या का श्रीबक्स की भूमि में पुत्र की भाँति हक व अधिकार निहित हो गये थे, जिसे पंचायत में सभी लोगो द्वारा स्वीकार किया गया था। इस कारण विधिवत तौर पर श्रीबक्स की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण संख्या 111 में श्रीबक्स की खातेदारी भूमि उसके दोनों पुत्रों छोटू व छीतर के 1/2 –1/2 हिस्से में खोला गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये केवल मात्र प्रशासन गॉवो के संग अभियान का सहारा लेते हुए गम्भीर विवाद को बिना विधिवत रूप से सुने और विवादित तथ्यों की पूर्ण जॉच किये सरसरी तौर पर निर्णित किये जाने में कानूनी भूल कारित की है। वर्ष 1973 में खोला गया नामान्तकरण में भी छोटू पुत्र मन्ना का नामान्तकरण इस कारण खोला गया कि जिस खातेदारी भूमि के बाबत नामान्तकरण संख्या 67 खोला गया, वह मन्ना की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं थी बल्कि पुश्तैनी सम्पत्ति थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 1–12–2021 पारित करते समय इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट में भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में कोई जॉच नहीं की गई और ना ही अपीलार्थी को जॉच में शामिल किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 01.12.2021 को निरस्त फरमाया जावे और नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 13.12.1978 को यथावत रखे जाने जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया छीतर के पिता स्वर्गीय श्रीबक्स पुत्र सुखदेव नामान्तरण संख्या 111 दिनांक 13–12–1978 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम सिन्दौली तहसील बस्सी, जयपुर के काबिज रिकार्डेड खातेदार थे एवं उनके पिता की एकमात्र पुत्र सन्तान मात्र प्रत्यर्थी छीतर ही हैं । नामान्तरण संख्या 111 दिनांक 13–12–1978 में वर्णित भूमि का नामान्तकरण प्रत्यर्थी छीतर के नाम ही भरना चाहिए था लेकिन पटवारी हल्का तत्कालीन ने प्रयर्थी के पिता के विधिक वारिसान की जॉच किये बिना ही सहवन से अपीलार्थी छोटू उर्फ छोट्या के नाम नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 12–12–1978 में प्रत्यर्थी संख्या 1 छीतर के साथ दर्ज कर दिया तथा तत्कालीन सरपंच ने भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता के वारिसान को जॉच किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया था । अपीलार्थी के पिता की भूमि का उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 28–3–1973 को तत्कालीन पटवारी द्वारा मृतक मन्ना पुत्र सुखदेव के विधिक वारिसान छोटू उर्फ छोट्या के नाम भरा गया था। अपीलार्थी ने नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 13–12–1978 में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा भूलवश प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ अपीलार्थी छोटू का नाम भी अंकित कर दिया था एवं उक्त नामान्तकरण में हुयी गलती को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 13/2020 अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जो कि श्रीमान न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया था । प्रत्यर्थी को उक्त अपील प्रस्तुत करने की कानून की जानकारी श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र संख्या 13/2020 अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम उनवानी छीतर बनाम सरकार में दिनांक 3–11–2021 को राजस्व कैम्प फाल्यावास में निर्णय पारित कर समझाईश करने पर हुयी हैं । इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उक्त जानकारी से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जाकर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 13–12–1978 ग्राम पंचायत फाल्यावास को निरस्त फरमाया जावें। उक्त तथ्यों की जानकारी भी बखूबी होने के थी उक्त समस्त प्रकार की कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से की गई कार्यवाही जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, इसलिये भी अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् ही मृतक वारिसों के नाम विधिवत् नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 13–12–1978 श्रीबक्स पुत्र सुखदेव के फौत होने पर ग्राम पंचायत फाल्यावास द्वारा भरे गए नामान्तरकरण को लेकर है। तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 111 के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण में छोटू पुत्र श्रीबक्स एवं नामा. संख्या 67 के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण में छोट्या पुत्र मन्ना दोनों एक ही व्यक्ति का होना वर्णित किया गया है जो कि विवाद का मूल कारण है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 111 को गलत बताया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी दिनांक 01.12.2021 को ग्राम पंचायत फाल्यावास द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 13.12.1978 को निरस्त करते हुये तहसीलदार बस्सी को श्रीबक्स पुत्र सुखदेव के विधिक वारिसान की पक्षकारों की उपस्थिति में जॉच कर नियमानुसार विधिक वारिसान के नाम विरास्तन् पुनः नामान्तरकरण भरकर विधि सम्मत निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व से नामान्तरकरण संख्या 67 छोटया पुत्र मन्ना के नाम भरे जाने से विवादित होने के उपरान्त भी तस्दीक कर दिया गया जो कि क्षेत्राधिकार से बाहर था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी श्रीबक्स पुत्र सुखदेव के विधिक वारिसान की पक्षकारों की उपस्थिति में जॉच उपरान्त ही पुनः नामान्तरकरण भरने के ही आदेश दिये हैं जो कि उचित है। अगर किसी पक्षकार को नामान्तरकरण भरते समय आपत्ति होगी तो वह न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 01.12.2021 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपर का निर्णय दिनांक 01.12.2021 यथावत रखा जाता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।